संख्या-13/2016-375/चौदह-4-2016-500(33)/2015

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 **लखनऊ, दिनांक, 16 मार्च, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में जनपद मैनपुरी में "समान पक्षी विहार" का विकास हेतु नई मॉगों के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-198/36-टी-77 दिनांक 10.08.2015 एवं प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या-442/7-4(सामान्य) दिनांक 05 नवम्बर,2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत जनपद "मैनपुरी में समान पक्षी विहार" योजनान्तर्गत आय-व्ययक में नई मॉगों के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) का धनावंटन निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
अनुदान संख्या-60	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जी पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110-वन्य जीव	
03-जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार परियोजना	
25-लघु निर्माण कार्य	2000
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	500
42-अन्य व्यय	2500
योग:-	**5000**

(रू0 पचास लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित

http://shasanadesh.up.nic.in

हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/ सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

4- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

5- प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं-0पी-36/198 -टी77- दिनांक 10.08.2015में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

9 यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2015/231-2015-दस/925-1-बी/2015/2- दिनांक 2015,मार्च 30में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-375(1)/चौदह-4-2016-500(33)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in